

विशेष ग्राम सभा की बैठक दिनांक 24.08.2019 वारे कार्यक्रम खण्ड समालखा


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक IT-2019/1626-1787 दिनांक 19.08.2019 में दी गई हिदायतानुसार प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है, विशेष ग्राम सभा का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. जल संरक्षण हेतु श्रमदान तथा साथ संलग्न पत्र में वर्णित हिदायतों की पालना करना।
2. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों से लोगों को जागरूक किया जाए।
3. आंगनबाड़ी सेंटर की आंतरिक संरचना/पोषण सभा/बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ/ स्वच्छता दर्पण आदि गांव में आयोजित की जाने वाली ग्रामसभाओं का कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार है:-

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	तिथि	समय	स्थान	ग्राम सचिव का नाम	पर्यवेक्षक
1	राक्सेड़ा	24-08-2019	प्रातः 08:00 बजे	एस0सी0 चौपाल नजदीक बस स्टाप	कुलदीप	श्री धर्मवीर, जे0ई0
2	कारकौली	24-08-2019	प्रातः 09:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	श्री धर्मवीर, जे0ई0
3	बिलासपुर	24-08-2019	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	श्री धर्मवीर, जे0ई0
4	हथवाला	24-08-2019	दोपहर 12:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	श्री धर्मवीर, जे0ई0
5	डिकाडला	24-08-2019	बाद दोपहर 02:00 बजे	प्रजापत चौपाल	कुलदीप	श्री धर्मवीर, जे0ई0
6	गढ़ी छाज्जु	24-08-2019	बाद दोपहर 04:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	श्री धर्मवीर, जे0ई0
7	पट्टीकल्याणा	24-08-2019	प्रातः 08:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	श्री सुरेश कुमार, SDO(PR)
8	चुलकाना	24-08-2019	प्रातः 09:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	श्री सुरेश कुमार, SDO(PR)
9	दिण्डार	24-08-2019	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	श्री सुरेश कुमार, SDO(PR)
10	करहंस	24-08-2019	दोपहर 12:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	श्री सुरेश कुमार, SDO(PR)
11	बिहौली	24-08-2019	बाद दोपहर 02:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	श्री सुरेश कुमार, SDO(PR)
12	शहरमालपुर	24-08-2019	बाद दोपहर 04:00 बजे	सामान्य चौपाल	हवा सिंह	श्री सुरेश कुमार, SDO(PR)
13	मनाना	24-08-2019	प्रातः 08:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	श्री विजय खत्री, पटवारी
14	वजीरपुर टिटाना	24-08-2019	प्रातः 09:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	श्री विजय खत्री, पटवारी
15	ढोड़पुर	24-08-2019	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	श्री विजय खत्री, पटवारी
16	आट्टा	24-08-2019	दोपहर 12:00 बजे	सामान्य चौपाल	प्रवीण	श्री विजय खत्री, पटवारी
17	देहरा	24-08-2019	बाद दोपहर 02:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	श्री विजय खत्री, पटवारी
18	गढ़ी त्यागान	24-08-2019	बाद दोपहर 04:00 बजे	रा0प्रा0 पाठशाला	प्रवीण	श्री विजय खत्री, पटवारी
19	बसाड़ा	24-08-2019	प्रातः 08:00 बजे	रा0प्रा0 पाठशाला	रणधीर	श्री रमेश कुमार, लेखाकार
20	हलवाना	24-08-2019	प्रातः 09:00 बजे	ग्राम सचिवालय	रणधीर	श्री रमेश कुमार, लेखाकार
21	नरायणा	24-08-2019	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	रणधीर	श्री रमेश कुमार, लेखाकार
22	पावटी	24-08-2019	दोपहर 12:00 बजे	ग्राम सचिवालय	रणधीर	श्री रमेश कुमार, लेखाकार
23	जौरासी सर्फ खास	24-08-2019	बाद दोपहर 02:00 बजे	ग्राम सचिवालय	रणधीर	श्री रमेश कुमार, लेखाकार
24	जौरासी खालसा	24-08-2019	बाद दोपहर 04:00 बजे	एस0सी0 चौपाल	रणधीर	श्री रमेश कुमार, लेखाकार
25	महावटी	24-08-2019	प्रातः 08:00 बजे	सामान्य चौपाल	राजविरेंद्र	श्री अशोक कुमार, ASDE
26	भोड़वाल माजरी	24-08-2019	प्रातः 09:00 बजे	ग्राम सचिवालय	राजविरेंद्र	श्री अशोक कुमार, ASDE
27	छदिया युसुफपुर	24-08-2019	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	राजविरेंद्र	श्री अशोक कुमार, ASDE
28	नामुण्डा	24-08-2019	दोपहर 12:00 बजे	ग्राम सचिवालय	राजविरेंद्र	श्री अशोक कुमार, ASDE
29	क्रिवाना	24-08-2019	बाद दोपहर 02:00 बजे	ग्राम सचिवालय	राजविरेंद्र	श्री अशोक कुमार, ASDE
30	मछरीली	24-08-2019	बाद दोपहर 04:00 बजे	ग्राम सचिवालय	राजविरेंद्र	श्री अशोक कुमार, ASDE
31	बुढ़नपुर	24-08-2019	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	चन्द्रवीर	श्री दिनेश, ABPO
32	सिम्बलगढ़	24-08-2019	दोपहर 12:00 बजे	रा0प्रा0 पाठशाला	चन्द्रवीर	श्री दिनेश, ABPO

ग्राम सभा के उक्त कार्यक्रम हेतु विस्तृत हिदायते निम्न अनुसार हे:-

- 1 ग्राम पंचायतों द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट अनुसार ही ग्रामसभा का आयोजन किया जाए
- 2 गांव में ग्रामसभा के कार्यक्रम का अखबार व मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए।
- 3 ग्राम पंचायत प्रत्येक सभे प्रयास करे कि सभी जातिवर्ग, महिलाएं व ग्रामीण ग्रामसभा में भाग ले।
- 4 ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारी का विशेष ध्यान दिया जाए व सभी स्वयं सहायता समूह भाग लें।
- 5 जिन गांवों में ग्रामसचिवालय स्थापित है, ग्रामसभा का आयोजन ग्रामसचिवालयों में किया जाए
- 6 ग्रामसभा के दौरान सांसद/हल्का विधायक/जिला पंचायत अथवा पंचायत समिति प्रधान/पंचायत समिति सदस्यों व अन्य दृष्टि व्यक्तियों को निमंत्रण दिया जाए।
- 7 ग्रामसभा की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करवाई जाए (अनिवार्य)।
- 8 ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी को उक्त ग्रामसभा के कार्यक्रम में भाग लेने बारे अग्रिम सूचना दी जाए
- 9 ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही परिया प्रोफाईलर व ग्राम पंचायत की वेबसाईट पर अपलोड की जाए।
- 10 ग्रामसभा की बैठक के फोटोग्राफ खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किये जाये।



खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
समालखा।

पृ0कंमाक 1289-1300 दिनाक- 20-08-2019

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में प्रेषित है-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
- 2 उपायुक्त महोदय, पानीपत।
- 3 अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, पानीपत।
- 4 जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पानीपत।
- 5 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, पानीपत की सेवा में भेजकर अनुरोध है कि आप उक्त प्रोग्राम को जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करे।
- 6 सभी कार्यालय अध्यक्ष (लाईन विभाग) जिला पानीपत की सेवा में कार्यक्रम की प्रति भेजकर अनुरोध है कि अपने विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारी को उक्त ग्रामसभा कार्यक्रम में भाग लेने बारे निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
- 7 सभी संबधित जिला परिषद सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/समस्त पंचायत समिति सदस्य।
- 8 उपमण्डल अधिकारी, पंचायती राज, समालखा।
- 9 खण्ड शिक्षा अधिकारी, समालखा।
- 10 इसकी एक प्रति समस्त कर्मचारियों/ग्रामसचिवों का भेजकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त निश्चित समय/स्थान पर उपस्थित होकर ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें, तथा ग्राम सभा के फोटो भी वाटस ग्रुप व कार्यालय में प्रस्तुत करें
- 11 इसकी एक प्रति समस्त सरपंचों/ग्रामसचिवों को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि निर्धारित तिथि को गांव में ग्रामसभा का आयोजन करने हेतु आवश्यक प्रबंध करें व विभाग द्वारा जारी हिदायतों/गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए ग्रामसभा का आयोजन करें, तथा अपने अपने गांव में मुनादी मुस्तरी करवायें व जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष व पंचायत समिति सदस्य को भी चौकीदार के माध्यम से ग्राम सभा की बैठक का निमन्त्रण निजवाना सुनिश्चित करें।
- 12 इसकी एक प्रति ग्राम सचिवालय में बैठने वाले समस्त वीएलई खण्ड समालखा को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि आप उक्त प्रोग्राम का ईन्दाज ई-पंचायत प्रणाली के लिए निर्धारित साफ्टवेयर में करना सुनिश्चित करे तथा की गई कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करे।

इस विषय में किसी प्रकार की कोताही व लापरवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
समालखा।